न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांकः– 10 / 10 / 2019

न.मु.– 84 / 2015

1. मानी देवी धर्मपत्नी तुलसीराम जाति सिद्ध निवासीनी थावरिया तहसील नोखा जिला बीकानेर (राज0)

.....वादी

बनाम

1. पुरखनाथ थावरिया
2. मेघनाथ

} पुत्रगण तुलसीराम जाति सिद्ध निवासीगण तहसील नोखा जिला बीकानेर, राजस्थान

3. रामकिशननाथ
4. नन्दकिशोर भारी पुत्र चन्द्रकान्त भारी जाति सिद्ध निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला चूरू (राज.)
6. उपपंजीयक महोदय, बीदासर जिला चूरू (राज.)

–

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरस्ती, चिर निषेधाज्ञा, विभाजन आदि बाबत

समस्त प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 की ओर से...
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 वा 4
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 5 वा 6

लगातार..2.पर...

– : निर्णय :–

दिनांकः– 10/10/2019

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि खेत खसरा नं. 904/788 तादादी 03 बिस्वा वाके रोही शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खेत संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत है। जिनका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है। खेत खसरा नं. 904/788 तादादी 03 बिस्वा वाके रोही शिवपुरी का है। जिसमें मानी देवी धर्मपत्नी तुलसीराम, पुरखनाथ, मेघनाथ, रामकिशननाथ पिसरान तुलसीराम जाति सिद्ध निवासी थावरिया तहसील नोखा ब.हि.ब. सा. देह खातेदारों के नाम संयुक्त अविभाजित खातेदारी चला आ रहा था। उपरोक्त 03 बिस्वा भूमि खेत तुलसीराम ने अपनी निजी सम्पति से दिनांक 29.12.1998 को अपनी पत्नी मानी देवी व पुत्र पुरखनाथ, मेघनाथ, रामकिशननाथ के नाम से क्रय किया था। और उसी वक्त से उक्त भूमि खेत की देख रेख उपयोग उपभोग सार–संभाल तुलसीराम व उसकी धर्मपत्नी मानी देवी ही करते आ रहे है। खेत का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदारों के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसका अलग से विभाजन करवाने व उसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादीनी कानूनी अधिकार रखती है। उपरोक्त खेत का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। लेकिन मेघनाथ की नियत में फर्क आ गया और उसने दिनांक 14.09.2015 को उपरोक्त अविभाजित खेत का 1/4 यानि 0.0375 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय कर दिया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य अवपक है। जिसको वादिनी शून्य घोषित कराने की कानूनी अधिकारिनी है। प्रतिवादी संख्या 02 ने 0.0375 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय कर चुपके–चुपके उपपंजीयक कार्यालय, बीदासर में दिनांक14.09.2015 को पंजीयन करा दिया। जबकि उपरोक्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाये बिना विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त वादगत खेत 29.12.1998 से वादिनी व उसके पति का लगातार निर्विघ्न रूप से कब्जा, उपयोग, उपभोग होने से प्रथमदृष्टया मामला वादिनी के पक्ष में है। उपरोक्त खेत में वादिनी व उसके पति ने चार

पक्के मकानात बना रखे है। जिसकी देख रेख लगातार 1998 से करते आ रहे है। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी वादिनी के पक्ष में है। वादिनी व उसके पति ने उपरोक्त वादगत खेत में पक्के मकानात बनाकर 1998 से देखरेख करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 02 ने राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 04 का 1/4 भाग का विक्रय कर दिया और अब उपरोक्त अविभाजित खेत भाग में से वादिनी का बेदखल कर देगा तो वादिनी को अपूर्तिय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से होनी संभव नही है। वादगत राजस्व भूमि से वादिनी का नाम खातेदार दर्ज होना व वादिनी का वादगत खेत राजस्व भूमि के 1/4 ब.हिस्सा की हित हिस्सा की उतराधिकारीनी होने से एवं प्राप्त करने की अधिकारिनी होने से वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 से जानकारी प्राप्त करने पर हित हिस्सा वापिस देते रहने के आश्वासन पर इन्तजार करते रहे एवं अंतिम बार दिनांक 18.12.2015 को स्पष्ट इन्कार हो जाने के कारण वाद हैतुक प्राप्त हुआ आदि आदि। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 6 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 2 वा 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 3 की ओर से जरीये मुखत्यार आम पिता तुलछीराम की ओर से एडवोकेट अरविन्द चौधरी ने वकालत नामा पेश किया, इकबाल जवाब पेश किया तथा वादीनी वा प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 3 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 वा 6 की ओर से पैरोकार राज ने राज्यहित नही होना प्रकट किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादीनी मानी देवी के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी, नक्शा प्रदर्स पी. 1 व पी. 2 तथा विक्रय पत्र दिनांक 29/12/1998 प्रदर्स पी. 3 तथा विक्रय पत्र दिनांक 29/12/1998 की छायाप्रति प्रदर्स पी. 3 (ए) वा विक्रय पत्र प्रदर्स पी. 4 प्रदर्शित करवाये।

लगातार..4.पर...

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जरिये **राजीनामा के आधार पर** दावा वादीनी के पा में डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये कि खेत खसरा नं. 904/788 तादादी 03 बिस्वा वाके रोही शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। खेत खसरा नं. 904/788 तादादी 03 बिस्वा जिसमें मानी देवी धर्मपत्नी तुलसीराम, पुरखनाथ, मेघनाथ, रामकिशननाथ पिसरान तुलसीराम जाति सिद्ध निवासी थावरिया तहसील नोखा ब.हि. ब. सा. देह खातेदारों के नाम संयुक्त अविभाजित खातेदारी चला आ रहा था। उपरोक्त 03 बिस्वा भूमि खेत तुलसीराम ने अपनी निजी सम्पति से दिनांक 29.12.1998 को अपनी पत्नी मानी देवी व पुत्र पुरखनाथ, मेघनाथ, रामकिशननाथ के नाम से क्रय किया था। और उसी वक्त से उक्त भूमि खेत की देख रेख उपयोग उपभोग सार–संभाल तुलसीराम व उसकी धर्मपत्नी मानी देवी ही करते आ रहे है। सम्पूर्ण हिस्सा वादीनी के पक्ष में घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 904/788 तादादी 03 बिस्वा वाके रोही शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जबकि वादगत भूमि में वादीनी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादीनी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही वादीनी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादीनी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादी सं. 06 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीनी हो दिलायी जावे। खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादीनी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

लगातार 5 पर

— : आदेश : —

वादीनी का वाद राजीनाम के आधार पर इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर के खेत खसरा संख्या 904/788 तादादी 03 बिश्वा में वादीनी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर के खेत खसरा संख्या 904/788 तादादी 03 बिश्वा में वादीनी का 1/4 हिस्सा भूमि की जगह प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के 3/4 हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में से हटाकर उपरोक्त खसरा संख्या 904/788 तादादी 03 बिश्वा सम्पूर्ण में वादीनी मानी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किसा जाता हे कि वादीनी के हक हिस्से की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करें, विक्रय हस्तानान्तरण ना करें तथा वादीनी के अधिकारों के विपरीत कोई कृत्य ना करें। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। प्रतिवादी संख्या 05 बीदासर तहसीलदार के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय डिक्री की पालना करें। इस हेतू अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10 — 10-2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर